न्यायालय, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, सिवान।
पीठासीन पदाधिकारी– **मनोज कुमार (द्वितीय)**,
प्रधान न्यायाधीश,

परिवार न्यायालय, सिवान।

भरण पोषण वाद सं0– 224 / 2024
रेहाना खातून बनाम सगीर अहमद
आदेश की तिथि 20.04.2026

1. उभयपक्षों की ओर से हाजिरी, नवीन वकालतनामा एवं संधि पत्र दाखिल किया गया है। विपक्षी की ओर से एकपक्षीय आदेश को आपस्त करने हेतु आवेदन दाखिल किया गया है।
2. वाद पुकार पर उभयपक्ष अपने– अपने विद्वान अधिवक्तागण के साथ उपस्थित हैं।
3. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आज दाखिल संधि पत्र पर बल देते हुए निवेदन किया गया कि आवेदिका और विपक्षी के मध्य समझौता हो चुका है और उक्त समझौता के आलोक में उभयपक्षों ने अलग–अलग रहने को तैयार हुए है तथा तय शर्त के मुताबिक आवेदिका को विपक्षी ने नगद एक लाख रूपया, उसका सारा गहना एवं सारा सामान दे दिया है। दोनों के संयोग से एक पुत्र और एक पुत्री है जो विपक्षी के साथ रहेंगे। अब उनके मध्य कोई लेना–देना शेष नहीं है और आवेदिका अब अपने वाद को आगे नहीं चलाना चाहती है।
4. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि, प्रस्तुत वाद आवेदिका के द्वारा भरण पोषण के लिए दाखिल किया गया है। आज उभयपक्षों हस्ताक्षर एवं उनके विद्वान अधिवक्तागण के पहचान से संधि पत्र दाखिल किया गया है। आज आवेदिका उपस्थित हैं तथा संधि पत्र का समर्थन करती हैं। आवेदिका द्वारा आदेशफलक पर यह लिखते हुए अपना हस्ताक्षर बनाया गया कि उनलोगों में समझौता हो गया है और उक्त समझौते के आलोक में इस केस में तय शर्त के मुताबिक 1,00,000/–रूपया नगद, उसका सारा गहना एवं सारा सामान उसे प्राप्त हो चुका है। अब कोई लेना–देना शेष नहीं है और अब उसे इस केस को आगे नहीं चलाना है।
5. उपरोक्त परिस्थिति में आवेदिका का यह वाद, संधि के आधार पर निस्तारित किया जाता है।

कार्यालय को आदेश दिया जाता है कि बाद पूर्ति आवश्यक औपचारिताएं पत्रावली को अभिलेखागार सिवान में संचित करे।

लेखापित

प्रधान न्यायाधीश, सिवान।